इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 500] भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 23, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्र. 28139-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०१५

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्र. ११ सन् १९९०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश.";

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "संचालक, चिकित्सा सेवा (डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज)" के स्थान पर, शब्द "आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश" स्थापित किए जाएं.

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर.	बैचलर ऑफ मेडिसिन एन्ड बैचलर ऑफ सर्जरी	एम.बी.बी.एस.".

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

वर्ष २००९-१० में बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में एम.बी.बी.एस. उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रों को प्रवेश दिया गया था. इन छात्रों ने वर्ष २०१४ में एम.बी.बी.एस. उपाधि पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है और वर्ष २०१५ में प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) पूर्ण कर ली है. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर, राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध न होने के कारण बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण इन छात्रों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. अतएव, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर से एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण इन छात्रों के, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में, पंजीयन के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) की अनुसूची में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है. धारा ४ का संशोधन गौण प्रकृति का है जिसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ७ दिसम्बर, २०१५

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.